webcopy of civil court katihar

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No. 340/2026
Muffasil P.S. Case No.- 55/2026

1. मकसुद आलम पिता नूरूल होदा, उ0त0 40 वर्ष
निवासी ग्राम– नया टोला चम्पई, थाना– रौतारा
जिला– कटिहार। ....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार। ....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता: श्री...................................शंभू नाथ सिंह।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांक– 07.04.2026 आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 28.02.2026 को आवेदक की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री शंभू नाथ सिंह द्वारा दाखिल की गयी है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस सूचिका अमेया कुमारी, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, कटिहार ने थानाध्यक्ष मुफ्फसिल थाना, कटिहार को एक लिखित आवेदन देते हुए कथन किया है कि दिनांक 11.02.2026 को अंचलाधिकारी, हसनगंज से प्राप्त शिकायत के आलोक में मुफ्फसिल थानान्तर्गत भसना रामपुर के क्षेत्र में दोपहर लगभग 01:30 अपराह्न मो0 आकिब जावेद, राजस्व अधिकारी, हसनगंज, मुकेश कुमार, हल्का कर्मचारी, हसनगंज, अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उपलब्ध होमगार्ड सिपाही के साथ लघु खनिज के अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण के विरूद्ध संयुक्त रूप से छापेमारी की गयी। छापेमारी के क्रम में रामपुर पंचायत अंतर्गत रेलवे लाईन से पहले भसना व रामपुर गांवों के सीमा के क्षेत्र में उजला धूस बालू लदे एक वाहन ट्रैक्टर रजि0 नं0 BR 39T 5857 को लदा हुआ पाया। अग्रेतर छापेमारी में धूस बालू गिराकर भाग रहे एक अन्य ट्रैक्टर रजि0 नं0 BR 39GA 7604 को बरामद किया गया। दोनों वाहनों के चालक घटनास्थल से फरार हो गये। राजस्व अधिकारी एवं हल्का कर्मचारी के द्वारा सूचित किया गया कि उक्त भूमि सिलिंग जमीन के अन्तर्गत आती है जो सरकारी भूमि है, इससे स्पष्ट है कि अवैध खननकर्ताओं के द्वारा सरकारी भूमि से धूस बालू का अवैध उत्खनन कर टैक्टर के माध्यम से परिवहन किया जा रहा था। अवैध खननकर्ताओं द्वारा किया गया यह कृत्य बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2024 नियम 33 व 43 का उल्लघंन है जो 56(2) के तहत दंडनीय व वसूलनीय है। उक्त दोनों वाहनों को जब्त करते हुए सुरक्षार्थ थाना परिसर में रखा गया है। जब्त वाहनों की विवरणी निम्नवत है। स्वराज कम्पनी का ट्रैक्टर डाला सहित ट्रैक्टर रजि0 नं0 BR 39T 5857 डाला पर लगभग 80 सी0एफ0सी0 उजला धूस बालू लदा हुआ, अधिरोपित धन एक लाख चार हजार दो सौ अड़तालिस, स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर डाला सहित रजि0 नं0 BR 39GA 7604 के डाला पर वर्तमान में बालू/ मिट्टी लदा हुआ नहीं पाया गया। अधिरोपित दंड रूपये 1,00,000/–उपर वर्णित नियमावली के नियम 562 के तहत दोनों वाहनों में से प्रत्येक पर समन शुल्क 1,00,000/–रूपये एवं वाहन रजिस्टेशन नं0 BR 39T 5857 पर लदे लघु खनिज की दंड राशि रूपया 4248/–अधिरोपित की जाती है। अर्थात् दोनों वाहनों के मालिकों से कुल रूपया 2,04,248/– की दंड राशि वसूलनीय है।
3. अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शंभू नाथ सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।

4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक द्वारा गिरफ्तारी की आशंका से यह वाद दाखिल किया गया है। आवेदक की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप पुरी तरह से असत्य एवं बेबुनियाद है। आवेदक टैक्टर का मालिक है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि ठिकेदार द्वारा उसके टैक्टर को कहां किस कार्य में लगाया गया था। आवेदक खनन विभाग को उसके उपर लगाये गये दंड धनराशि एक लाख चार हजार दो सौ अड़तालिस रूपये जमा कर दिया है, जिसकी छाया प्रति दाखिल किया है। आवेदक के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) एवं 317(2) आकर्षित नहीं होती है। आवेदक स्थानीय और सक्षम जमानतदार न्यायालय की संतुष्टि पर देने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है। अतः यह अग्रिम जमानत पाने के अधिकारी नहीं है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचिका अमेया कुमारी खान निरीक्षक के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात स्वराज कम्पनी के टैक्टर मालिक के विरूद्ध मुफ्फसिल थाना कांड संख्या–55/2026 दिनांक 11.02.2026 बिहार खनिज, (रियायत, अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण अधिनियम की रोकथाम) नियम 2019 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3032,3172 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 4,5 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है तथा कंडिका 16 से विदित है कि आवेदक ट्रैक्टर रजि0 नं0 BR 39T 5857 का वाहन स्वामी है तथा उसके उपर अवैध रूप से खनन किये जाने के कारण कुल 1,04,248/–रूपये दंड राशि अधिरोपित किया गया है। आवेदक द्वारा उसके उपर अधिरोपित धनराशि 1,04,248/– रूपये धनराशि खनन विभाग को दिनांक 25 फरवरी 2026 को ई0 चालान के माध्यम से जमा किया गया है, जिसकी छाया प्रति अभिलेख पर है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक द्वारा खनन विभाग को 1,04,248/–रूपये जमा किये जाने को देखते हुए उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदक द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 28.02.2026 को स्वीकार किया जाता है, आवेदक/अभियुक्त को आदेश की तिथि/आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर मो0 10,000/–रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं का बंधपत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482(2) में वर्णित उपबंधों के पालन में वचन पत्र के साथ दाखिल करने तथा विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर स्वीकार करते हुए जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम
कटिहार।

Date of order	07-04-2026
Date of Reserving order	07-04-2026
Uploading date	08-04-2026
Uploaded by	Raj Roy (B.C.)

Web copy of Court, Katihar